64/2013 — अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A8/7

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियां, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 64/13

परमजीतसिंह पुत्र श्री मुन्शासिंह पुत्र कुण्डासिंह जाति महजबी सिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. राजविन्द्रसिंह
2. प्रदीप पिसरान श्री दलबीरसिंह पुत्र हाकमसिंह अकवाम जटसिख सुकनाए 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखदेवकौर बेवा दर्शनसिंह पुत्र मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी सरायानागा तहसील व जिला मुक्तसर
4. सुखचैनसिंह पुत्र दर्शनसिंह पुत्र नुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी सरायानागा तहसील व जिला मुक्तसर
5. चिन्तकौर पुत्री दर्शनसिंह पुत्र मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी सरायानागा तहसील व जिला मुक्तसर
6. प्रीतमसिंह पुत्र देवो पुत्री मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी गुरूसर तहसील रामपुराफूल जिला भठिण्डा(पंजाब)
7. सेवकसिंह पुत्र देवो पुत्री मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी गुरूसर तहसील रामपुराफूल जिला भठिण्डा(पंजाब)
8. वीरपालकौर पुत्री देवो पुत्री मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी गुरूसर तहसील रामपुराफूल जिला भठिण्डा(पंजाब)
9. हरजीतकौर पुत्री देवो पुत्री मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी गुरूसर तहसील रामपुराफूल जिला भठिण्डा(पंजाब)
10. पम्मी पुत्र देवो पुत्री मुन्शासिंह जाति महजबी सिख निवासी चक हीरासिंहवाला (पक्का खुर्द) तहसील संगतमण्डी जिला बठिण्डा (पंजाब)
11. सीतो पुत्री मुन्शासिंह पत्नी छोटासिंह जाति महजबी सिख निवासी ढरमावाली तहसील व जिला फरीदकोट (पंजाब)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–03–2010 तहसीलदार, श्री गंगानगर निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित :
1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री तेजासिंह, अधिवक्ता,रेस्पोडेन्टस सं0 2
3.श्री सुरेन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3 से 10

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

64/2013 – अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A8/2

आदेश दिनांक : 27–4–17

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता मुन्शीसिंह पुत्र कुण्डासिंह के नाम चक 9 वाई में मु0 नं0 41 में कि0 नं0 18 ता 25 में 2.024 है0 रकबा नहरी दर्ज है। अपीलांट के पिता का काफी समय पूर्व देहान्त हो गया था, जिसके जायज वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 से 11 हैं। अपीलांट की जाति हरीजन है। अपीलांट की भूमि पर रेस्पो0 ने नाजायज कब्जा कर लिया। अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र धारा 183 आर टी एक्ट का तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 23.1.13 को प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है, लेकिन तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मॉगी गई तो प0 हल्का ने दिनांक 28–8–13 को बताया कि अपीलांट के पिता ने जो पूर्व में दावा किया था, वह खारिज हो गया है। पटवारी हल्का द्वारा रेकार्ड से बाहर जाकर रिपोर्ट की गई है। अपीलांट के पिता का नाम मुन्शासिंह एवं दादा का नाम कुण्डासिंह था लेकिन पटवारी ने मुन्शीराम पुत्र करड़ाराम के नाम रिपोर्ट कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी संबंधित को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पूर्व में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर वाद खारिज करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से जॉच नहीं की है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–3–10 निरस्त किया जावे व जमीन का कब्जा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 ता 11 को दिलाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के पिता मुन्शीसिंह पुत्र कुण्डासिंह के नाम चक 9 वाई में मु0 नं0 41 में कि0 नं0 18 ता 25 में 2.024 है0 रकबा नहरी दर्ज है। अपीलांट के पिता का काफी समय पूर्व देहान्त हो गया था, जिसके जायज वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 से 11 हैं। अपीलांट की जाति हरीजन है। अपीलांट की भूमि पर रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने नाजायज कब्जा कर लिया। अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र धारा 183 आर टी एक्ट का तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 23.1.13 को प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। प0 हल्का ने दिनांक 28–8–13 को बताया कि अपीलांट के पिता ने जो पूर्व में दावा किया था, वह खारिज हो गया है। पटवारी हल्का द्वारा रेकार्ड से बाहर जाकर रिपोर्ट की गई है। अपीलांट के पिता का नाम मुन्शासिंह एवं दादा का नाम कुण्डासिंह था लेकिन पटवारी ने मुन्शीराम पुत्र करड़ाराम के नाम रिपोर्ट कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी संबंधित को पक्षकार नहीं बनाया

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

64/2013 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A8/3

गया है। पूर्व में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर वाद खारिज करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से जॉच नहीं की है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–3–10 निरस्त किया जावे व जमीन का कब्जा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 ता 11 को दिलाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि धारा 183 बी के दो बार प्रकरण अपीलांट के खिलाफ निर्णित हो चुके हैं। माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी का निर्णय हो चुका है। धारा 175 आर टी एक्ट के तहत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है। अतः उक्त प्रकरणों के विचाराधीन रहते हस्तगत अपील में हस्तक्षेप की कोई गुजांयश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। विचाराधीन प्रकरणों में जो भी निर्णय होगा, उसी अनुसार संबंधित पक्षकार को कब्जा एवं अधिकार प्राप्त होगें। अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि धारा 175 आर टी एक्ट का प्रकरण सं0 16/14 सरकार बनाम मुन्शासिंह उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में भूमि गैरखातेदार दर्ज है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–3–10 के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी के प्रकरण सं0 1/13 अनवान परमजीतसिंह बनाम श्री हरदीपसिंह वगैरा में दिनांक 8–5–15 को निर्णय पारित कर, 183 बी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। इस प्रकार दो बार 183 बी के प्रकरण अपीलांट के खिलाफ खारिज हो चुकें है। मेरे विन्रम मत में धारा 175 आर टी एक्ट के तहत प्रकरण लंबित होने एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील लंबित होने के कारण, धारा 183 बी आर टी एक्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

फलस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 27–4–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/4/17

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner